

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 2232 / 2011 / उदयपुर.

2. अपील संख्या – 235 / 2012 / उदयपुर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-‘अ’, उदयपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स आर. एस. मोटर्स प्रा0 लिमिटेड, उदयपुर.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य

श्री अमर सिंह, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एन. एस. राठौड़,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री राकेश मेहता, अभिभाषक


.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 13 / 02 / 2014

निर्णय

ये दोनों अपीलें राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे ‘अपीलीय अधिकारी’ कहा गया है) के प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील संख्या 26 / वेट / 10-11 में पारित किये गये आदेश दिनांक 30.5.2011 व अपील संख्या 273 / वेट / 10-11 में पारित किये गये आदेश दिनांक 12.8.2011 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे ‘वेट अधिनियम’ कहा गया है) की धारा 83 के अन्तर्गत पृथक-पृथक प्रस्तुत की गयी हैं। इन दोनों अपीलों में विवादित बिन्दु एवं पक्षकार समान होने से इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जाकर निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के कर निर्धारण वर्ष 2007-08 व 2008-09 के कर निर्धारण अन्तर्गत वेट अधिनियम की धारा 23 के वक्त पाया कि व्यवहारी चार पहिया वाहनों का अधिकृत विक्रेता है। विनिर्माता नहीं है, फिर भी परिसर में सर्विस स्टेशन निर्माण में प्रयुक्त सीमेंट व आयरन खरीद पर चुकाये गये वेट का पूंजीगत माल में प्रयोग मानकर आगत कर का क्लेम विवरण पत्रों में घोषित किया है, इसलिए कर निर्धारण अधिकारी ने जानबूझकर गलत आगत कर का मुजरा चाहने के काण नोटिस जारी कर अधिनियम की धारा 61(2)(बी) के तहत शास्ति आरोपण का प्रस्ताव किया। नोटिस प्राप्त होने पर व्यवहारी को भूल का पता लगने पर त्रैमासिक विवरण पत्रों को संशोधित करते हुए आगत कर के क्लेम को वापस लेते हुए कर जमा करा दिया। उसके अलावा कर निर्धारण अधिकारी ने पाया कि व्यवहारी द्वारा





लगातार.....2

'डेमो कार', जो कि विक्रयार्थ आयात नहीं की जाती है, उनकी बिक्री 4 प्रतिशत की दर से कर संग्रह करते हुए की है। कर निर्धारण अधिकारी ने इस अनियमितता के लिये नोटिस जारी कर 12.5 प्रतिशत वैट व धारा 61(2)(बी) के तहत शास्ति का प्रस्ताव किया। कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत जवाब को अस्वीकार करते हुए वर्ष 2007-08 व 2008-09 में निम्न प्रकार मांग सृजित की -

अपील संख्या	अवधि	कर	ब्याज	शास्ति आई.टी.सी. के बिन्दु पर	शास्ति डेमो कार के बिन्दु पर
2232/11	2007-08	1,07,646	8,29,930	10,82,712	2,15,292
235/12	2008-09	1,33,34,936	29,58,485	3,99,638	-

उक्त कर निर्धारण आदेशों को अपीलीय अधिकारी के समक्ष चुनौती दिये जाने पर अपीलीय अधिकारी ने गलत आई.टी.सी. क्लेम को सद्भावी मानते हुए तथा संशोधित विवरण पत्र प्रस्तुत करने के कारण आरोपित शास्ति को अपास्त किया तथा डेमो कार की बिक्री पुरानी कार की मानते हुए 4 प्रतिशत से कर योग्य अवधारित कर अन्तर कर व ब्याज को अपास्त किया। अपीलीय आदेश में डेमो कारों की बिक्री पर देय कर व शास्ति के विषय में कोई विवरण अंकित नहीं किया है।

अपीलीय आदेशों से असंतुष्ट होकर राजस्व द्वारा ये द्वितीय अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी के विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि व्यवहारी निर्माणकर्ता नहीं होकर ट्रेडर है, जो कि पूंजीगत माल पर आई.टी.सी. का क्लेम करने का अधिकारी नहीं है, फिर भी जानबूझकर विवरण पत्रों में आई.टी.सी. क्लेम किया है। व्यवहारी को नोटिस जारी करने के बाद व्यवहारी द्वारा भूल स्वीकार कर कर जमा कराते हुए विवरण पत्र संशोधित किये गये हैं। यह पश्चातवर्ती सोच है, जबकि अपराध पहले ही कारित हो चुका है। अतः कर निर्धारण अधिकारी ने आई.टी.सी. अस्वीकर कर धारा 61(2)(बी) के तहत शास्ति विधिसम्मत रूप से आरोपित की थी, लेकिन अपीलीय अधिकारी ने बिना तथ्यों को विश्लेषित कर शास्ति को अपास्त कर भूल की है।

अग्रिम कथन किया कि व्यवहारी ने डेमो कार की बिक्री कर, कर जमा नहीं कराया था, बल्कि विवरण पत्रों में विक्रय को घोषित नहीं किया है। अन्य स्रोतों से आय दर्शाते हुए करापवंचन किया है, इसलिए कर निर्धारण अधिकारी ने डेमो कारों की बिक्री पर 12.5 प्रतिशत की दर से करारोपण कर ब्याज भी





आरोपित किया तथा धारा 61(2)(बी) के तहत शास्ति आरोपित कर उचित रूप से कर निर्धारण आदेश पारित किया। फिर भी अपीलीय अधिकारी ने डेमो कार को पुरानी कार का विक्रय मानते हुए 4 प्रतिशत की दर से करारोपण को उचित अवधारित कर तदनुसार ब्याज को अपास्त कर विधिक भूल की है।


उक्त आधारों पर अपीलीय आदेश को अपास्त कर कर निर्धारण आदेशों को बहाल कर अपीलें स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि सर्विस स्टेशन निर्माण में प्रयुक्त सीमेंट व आयरन पर चुकाये गये वैट का पूंजीगत माल निर्माण मानकर व्यवहारी द्वारा आई.टी.सी. क्लेम किया गया था, लेकिन कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नोटिस के प्रत्युत्तर में विवरण पत्र संशोधित करते हुए आई.टी.सी. क्लेम के स्थान पर कर जमा करा दिया था, जो कि विधिक प्रावधानों अनुसार उचित था। इसलिए अपीलीय अधिकारी ने शास्ति अपास्त कर विधिसम्मत आदेश पारित किया है। तर्क के समर्थन में (2011) 29 टैक्स अपडेट 107 (राजस्थान कर बोर्ड-खण्डपीठ) वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन बनाम खूटेटा स्टील्स, जयपुर तथा एकलपीठ के निर्णय अपील संख्या 308/2009/जयपुर वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत-आई, जयपुर बनाम मैसर्स एस. मार्ट, जयपुर निर्णय दिनांक 18.4.2011 के न्यायिक दृष्टान्त का उद्धरण दिया है।

अग्रिम कथन किया कि डेमो कारें व्यवहारी द्वारा स्थाई सम्पत्तियों में पूंजीगत माल के रूप में क्रय की जाती है, जो पुरानी होने पर पुरानी कारों के रूप में विक्रय की जाती है। चूंकि डेमो कारों की बिक्री नियमित कारोबार का भाग नहीं है, इसलिए व्यवहारी ने इन पर कर वसूल नहीं किया है। पुरानी कारों पर वैट 4 प्रतिशत से ही देय है, इसलिए अपीलीय अधिकारी ने अन्तर कर व उस पर ब्याज को अपास्त कर कोई भूल नहीं की है।

उक्त कथन के साथ राजस्व की अपीलें स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आलौच्य अवधियों में गलत क्लेम आई.टी.सी. के विषय में जारी नोटिस की पालना में व्यवहारी द्वारा दिनांक 20.3.2010 को वैट रूपये 5,41,356/- जमा का ई-चालान वैट-37ए जवाब के साथ प्रस्तुत कर दिया था। व्यवहारी द्वारा भूल स्वीकार किये जाने को करारोपण मानते हुए कर निर्धारण अधिकारी ने धारा 61(2)(बी) के तहत शास्ति आरोपित





की गई है। इस शास्ति को अपीलीय अधिकारी ने विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों के आलोक में करापवंचन की मंशा नहीं होने के कारण अपास्त किया है। इस पीठ के विनम्र मत में अपीलीय आदेश में कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अतः दोनों अपीलों में अपीलीय आदेश की इस बिन्दु पर पुष्टि की जाती है।

जहां तक अपील संख्या 2232/2011/उदयपुर में डेमो कारों की बिक्री का प्रश्न है, व्यवहारी ने उसे स्थाई परिसम्पत्तियों की अन्य स्रोतों से आय दर्शाते हुए लाभ-हानि खाते में दर्शाया है तथा इनकी बिक्री को विवरण पत्रों में घोषित नहीं किया है। व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक का तर्क है कि डेमो कारों का नियमित कारोबार के रूप में विक्रय नहीं किया गया है, इसलिए इन पर कर उद्ग्रहणीय नहीं है। यह तर्क अमान्य किया जाता है, क्योंकि डेमो कारों की बिक्री भी कारोबार का ही भाग है। इस सम्बन्ध में वेट अधिनियम की धारा 2(6) के सुसंगत अंश को उद्धरित करना समीचीन होगा -

2(6) "business" includes-

(i)


(ii)


(iii) any transaction in connection with or incidental or ancillary to such trade, commerce, manufacture, adventure or concern; or

कर बोर्ड व उच्चतर न्यायालयों का यह स्पष्ट मत रहा है कि कारोबार के संदर्भ में किया गया विक्रय भी बिक्री की परिभाषा में ही शुमार होता है। व्यवहारी ने विक्रय को विवरण पत्रों में नहीं दर्शाकर करापवंचन किया है। अपीलीय आदेश की इस अंश तक पुष्टि की जाती है कि आलौच्य अवधियों में पुरानी कारों पर 4 प्रतिशत से ही करदेयता है। तदनुसार ब्याज भी 4 प्रतिशत से देय कर पर ही आरोपणीय है। जहां तक डेमो कारों के विक्रय पर करापवंचन के लिये शास्ति का प्रश्न है, अपीलीय अधिकारी ने अपने निर्णय में कोई जिक्र नहीं किया है, इसलिए इस बिन्दु पर अपील संख्या 2232/2011/उदयपुर में अपीलीय अधिकारी को प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाता है कि शास्ति के बिन्दु पर विधिसम्मत आदेश पारित करें।

परिणामस्वरूप राजस्व द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलों आई.टी.सी. के बिन्दु पर अस्वीकार की जाती हैं तथा अपील संख्या 2232/2011/उदयपुर में डेमो कारों के विक्रय पर आरोपित कर व ब्याज की पुष्टि करते हुए, धारा 61(2)(बी) के बिन्दु पर प्रकरण अपीलीय अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।


13-2-14
(अमर सिंह)
सदस्य


(जे. आर. लोहिया)
सदस्य
13/2/14